न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 76/22 GCMS NO 2022/122

1. राधेश्याम
2. रामदयाल
3. नत्थीलाल पिसरान दौजी
4. केसन्ती

किशन प्यारी पुत्रियान दौजी समस्त जातियान जाटव निवासीयान बालावास तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रमेश
2. रामेश्वर पिसरान रतनलाल
3. सरबती पत्नि रतनलाल
4. कला पत्नि घमण्डी
5. चौथीलाल
6. मुरारी लाल
7. हरिराम पिसरान घमण्डी
8. रामदेई पुत्री घमण्डी
9. कालूराम
10. विजेन्द्र
11. भरतलाल पिसरान विदरिया
12. सन्तो पत्नि विदरिया
13. घासी पुत्र सेडया
14. हजारी लाल
15. हरदयाल
16. रेवती लाल पिसरान छोटू उर्फ किशन लाल समस्त जातियान जाटव निवासीयान बालावास तहसील टोडाभीम जिला करौली
17. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 102/19 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनील कुमार जिंदल

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रघुवीर सिह

दिनांक 28.10.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 224 निर्णय दिनांक 19.10.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से, हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण के द्वारा दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुढावल स्थित आराजी खसरा न0 100 ,101,104,110,115,116,117,118,119,120,121,304,305,307,308,308/621 कुल किता 16 कुल रकबा 2.27 है0 मे वादीगण के स्व0 पिता दौजी पुत्र सेडया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1 ता 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 4 ता 8 एवं उनकी माता रजनिया पत्नि घमण्डी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 9 ता 12 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 13 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी न0 14 ता 16 के स्व0पिता बोटू उर्फ किशन लाल का 1/6 हिस्सा है। संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजी मे से खसरा न0 100,115,116,117,118,119,120 के पश्चिम मे सडक लगी हुई है। उक्त आराजीयात करीब 20 वर्ष पूर्व से मौके पर बाहमी बंटवारा कर काश्त की सुविधा के लिए आपस मे बांट रखी है। बाहमी बंटवारे मे सभी सहखातेदारो को सडक पर फ्रन्ट देते हुए बंटवारा किया गया है। वादीगण के हिस्से मे खसरा न0 119,304 व 307 दी गई है। वादीगण अपने पिता दौजी के समय से बदस्तूर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 को सडक के पूर्व स्थित खसरा न0 118 व अन्य आराजी प्रतिवादी न0 4 ता 8 को खसरा न0 115 व अन्य आराजी प्रतिवादी न0 9 ता 12 को खसरा न0 116 व अन्य आराजी प्रतिवादी न0 13 को खसरा न0 110 व अन्य आराजी प्रतिवादी न0 14 ता 16 को खसरा न0 117 व अन्य आराजी बाहमी बंटवारे मे दी गई है और सभी मौके पर बदस्तूर काबिज है। उक्त वर्णित आराजीयात मे से अधिकांश आराजी सडक से लगी होने के कारण बेशकीमती हो गई है इस कारण प्रतिवादी न0 1 ता 3 बाहमी बंटवारे से मुकरते हुए आराजी के सडक से लग हुए फ्रन्ट भाग को नाजायज कब्जा कर निर्माण कर नाकाबिल काश्त बनाने को उतारू है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 द्वारा वादी के हिस्से मे आ रही खसरा न0 119 के सडक की और फ्रन्ट भाग पर नाजायज रूप से निर्माण करना शुरू कर दिया है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का विधिवत बंटवारा कराने से इंकार कर दिया तथा निर्माण करने पर आमादा है। इसलिए वादग्रस्त आराजीयात का मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार से बंटवारा स्कीम तलब की जाकर वादीगण के हिस्से मे आई आराजी का राजस्व रिकार्ड मे अमल कराया जावे तथा वादीगण के हिस्से मे आई भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे इसलिए प्रतिवादीगण को रोका जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र दिनांक 6.3.2020 प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम तलब की गई। प्राप्त बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना जाकर तथा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर वाद पत्र फाईनल डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व रूयेदाद असल होने से मंसूख किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Baldi
Date: 2026.04.16 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

योग्य है। अपीलांट/वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का अपने 1/6 हिस्से का तकासमा कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6.3.20 को प्राथमिक डिक्री किया गया। अदालत मातहत द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की रेस्पो0 संख्या 17 कमिश्नर द्वारा पालना नही कर वादग्रस्त भूमि का राजस्व मंडल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई तथा मीटस एण्ड बाउन्डस के अनुसार बुरी मे से बुरी एवं अच्छी मे से अच्छी का बंटवारा नही कर रेस्पो0 से मिलकर सडक की अच्छी व कीमती जमीन रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के नाम बंटवारा स्कीम मे बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.9.20 को प्रस्तुत की गई। जिसके विरूद्व अपीलांटगण द्वारा दिनांक 27.11.21 को आपत्ति बंटवारा कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अदालत मातहत द्वारा अपीलांटगण की आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 27.9.21 को विधि विरूद्व तरीके से दिनांक 9.10.22 को खारिज करते हुए अपीलांटगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.1.21 के आदेश दिनांक 9.10.22 के रिवीजन प्रस्तुत करने का समय नही देते हुए उसी दिन अर्थात दिनांक 19.10.22 को ही फाईनल डिक्री जारी कर दी जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा पारित डिक्री व निर्णय मे अपीलांट व रेस्पो0के अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम नही कर कानून की अवहेलना कर निर्णय व डिक्री पारित करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि आराजी खसरा न0 100,115,116,117,118,119,120 जो सडक से लगी हुई है मे वादीगण/अपीलांटगण का कोई हिस्सा नही है। जमीन का 20 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था उस समय सडक नही थी। वादीगण/अपीलांटगण ने 20 वर्ष पूर्व अच्छी भूमि प्राप्त की थी। अपीलांट/वादीगण व रेस्पो/प्रतिवादीगण न0 1 ता 3 का बटवारा खसरा न0 118 रकबा 0.13, 119 रकबा 0.14 मे 13.5 ऐयर हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 3 का है। जो सडक के सहारे पूर्व से ही है जिसमे पुख्ता मकान व चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है। जिसमे रेस्पो0 निवास कर रहे है। खसरा न0 118 व 119 के फन्ट साईड से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। चूकि: रेस्पो0 के मकान के यहॉ से सडक निकल जाने के कारण अपीलांट/वादीगण के मन मे लालच जा जाने के कारण वह रेस्पो0 की भूमि मे से हिस्सा लेना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की आराजीयात होने से विधिवत बंटवारा नही होने के कारण मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तलब किये जाने के आदेश विधिवत रूप से दिनांक 6.3.20 को दिये जाकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया गया था। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील पेश नही की गई। यदि अपीलांट को प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति थी तो उसको नियमानुसार अपील करनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार टोडाभीम को वादग्रस्त आराजीयात की विभाजन स्कीम तैयार करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा माननीय राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा स्कीम तैयार की गई है। अपीलांट/वादीगण द्वारा बंटवारा स्कीम पर अधिनस्थ न्यायालय मे आपत्ति दर्ज कराई गई थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुना जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर बंटवारा स्कीम कब्जे एवं हिस्से अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2026.04.16 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ही पक्के कच्चे निर्माण को देखते हुए विभाजन किया गया है तथा प्रत्येक सहखातेदार को बंटवारा अनुसार अपने खेतो पर आवागमन हेतु रास्ता भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक व अंतिम डिक्री विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित की गई है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात होने से वादीगण द्वारा बंटवारा हेतु वाद पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये ही वाद पत्र डिक्री किया गया है जबकि उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर बंटवारा किये जाने की सहमति प्रदान किये जाने के कारण ही तनकीयात कायम नही की गई। तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा स्कीम तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय मे भिजवाई गई है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारा विधिवत रूप से किया गया है प्रत्येक सहखातेदार को अपने अपने खेतो पर आवागमन हेतु रास्ता प्रदान करते हुए राजस्व मंडल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा स्कीम बनाई गई है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन सही साबित नही होता है। वादग्रस्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा पूर्व से होना वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत किया गया है। बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने रिहायशी मकान बना रखे है। जिसे बंटवारा स्कीम मे खातेदारो के मकानो का ध्यान रखा गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत बहामी बंटवारा अनुसार एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम अनुसार ही विधिवत रूप से बंटवारा किया गया है। जो विधि के प्रावधानो के तहत ही किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 102/19 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बसीगे अपील
(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure code, Appendix G)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर
बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. राधेश्याम
2. रामदयाल
3. नत्थीलाल पिसरान दौजी
4. केसन्ती
   किशन प्यारी पुत्रियान दौजी समस्त जातियान जाटव निवासीयान बालावास तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रमेश
2. रामेश्वर पिसरान रतनलाल
3. सरबती पत्नि रतनलाल
4. कला पत्नि घमण्डी
5. चौथीलाल
6. मुरारी लाल
7. हरिराम पिसरान घमण्डी
8. रामदेई पुत्री घमण्डी
9. कालूराम
10. विजेन्द्र
11. भरतलाल पिसरान विदरिया
12. सन्तो पत्नि विदरिया
13. घासी पुत्र सेडया
14. हजारी लाल
15. हरदयाल
16. रेवती लाल पिसरान छोटू उर्फ किशन लाल समस्त जातियान जाटव निवासीयान बालावास तहसील टोडाभीम जिला करौली
17. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 76/2022 निर्णय व डिकी न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम दिनांक 19.10.22 दावा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 76/22 व तारीख 28.10.25 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सुनील कुमार [illegible] अधिवक्ता पेश हुए अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री रघुवीर सिह । उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति [illegible] लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। न्यायालय उप जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 102/19 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.22 को यथावत रखा जाता है।

वास्ते दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28.10.25 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रुपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	----	----	स्टाम्प वकालतनामा	----	----
स्टाम्प वकालतनामा	----	----	स्टाम्प अर्जी	----	----
इजराय हुक्मनामा	----	----	इजराय हुक्मनामा	----	----
वकील फीस बाबत	----	----	महन्ताना वकील	----	----

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested